396

संख्या– 2038 /IV(3)/4(33)/2014

प्रेषक,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 8 दिसम्बर, 2015

विषय–अर्द्ध कुम्भ मेला–2016, हरिद्वार के अन्तर्गत हरकी पैड़ी के समीप 01 नग स्थायी एवं 03 अस्थायी सेतुओं का निर्माण एवं स्थापना कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1116/अ0कु0मे0–16/लेखा, दिनांकः 30.10.2015 तथा शासनादेश संख्या–132/IV-3/4(33)/2014, दिनांक 26.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26.03.2015 के द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला–2016, हरिद्वार के अन्तर्गत हरकी पैड़ी के समीप 01 नग स्थायी एवं 03 अस्थायी सेतुओं का निर्माण एवं स्थापन कार्य के सम्बन्ध में धनराशि रू0 1208.80 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू0 600 लाख की धनराशि हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 खाते में उपलब्ध गत कुम्भ मेला, 2010 की धनराशि में से व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त रू0 600 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष समस्त धनराशि रू0 608.80 लाख को अवमुक्त करते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii)कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii)कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv)कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(v)निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(viii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्पुस्तिका बजट मैनुअल एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(ix) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी चैकिंग कराई जाएगी।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा भी किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4217– शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्रपुरोनिधानित–0107–अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 की मानक मद संख्या–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जाएगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–823/XXVII(2)/15, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

6– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–एस01512130074 एवं एच01512130473 दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 2038 (1)/IV(3)/4(33)/2014, तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2–महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3–प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–मुख्य अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सिंचाई विभाग देहरादून।
5–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
7–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
8–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9–वित्त अनु0–2
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

आवंटन पत्र संख्या - **2038/15-04(33)2014** — अलोटमेंट आई डी - **H1512130473**

अनुदान संख्या - 013 — आवंटन पत्र दिनांक -08-Dec-2015

DDO Name - Meladhikari KumbhHaridwar (2871) , Treasury - Haridwar (6500)

1: **लेखा शीर्षक** 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
800 - अन्य व्यय
07 - अर्धकुम्भ मेला, 2016

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	1592396000	60880000	1653276000
	1592396000	**60880000**	**1653276000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 60880000

(रफीक अहमद)
अनु सचिव,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।